संख्या : 1534 / 9—आ—3—2003—72 विविध / 94

प्रेषक,

जे.एस.मिश्र

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण,

इलाहाबाद।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग—3 दिनांक : 5 अप्रैल, 2003

विषय : इलाहाबाद महायोजनान्तर्गत आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स को अंगीकृत किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या—408 / सचिव / मु.न.नि / वि.प्रा. / 2002 दिनांक 06.01.2003 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके साथ आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स में शासनादेश संख्या—379 / 9—आ—3—72 वि. / 94 दिनांक 25.1.2002 तथा शासनादेश संख्या—3701 / 9—आ—3—72 वि. / 94 दिनांक 24.09.2002 के अधीन किए गये संशोधनों का प्रस्ताव इलाहाबद विकास प्राधिकरण बोर्ड की दिनांक 24.8.2002 को आयोजित बैठक में मद संख्या—7, संकल्प संख्या—1253 के अन्तर्गत सर्वसम्मति से अंगीकृत कर शासन के अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इलाहाबाद विकास प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अंगीकृत प्रस्ताव पर शासन द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाता है। कृपया संशोधित जोनिंग रेगुलेशन्स की जानकारी जनता को देने हेतु एक सूचना स्थानीय समाचार पत्रों में जारी कर दी जाए तथा महायोजनान्तर्गत भू—उपयोग विनियमन की कार्यवाही तत्काल प्रभाव से संशोधित जोनिंग रेगुलेशन्स के अनुसार सुनिश्चित की जाए।

3. कृपया कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

जे.एस.मिश्र

सचिव।

संख्या—1534(1)/9—आ—3—2003 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. अध्यक्ष, इलाहाबाद विकास प्राधिकरण।

2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।

3. अपर निदेशक, नियोजन, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

दिवाकर त्रिपाठी

विशेष सचिव।